वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर - 222003

Website- www.vbspu.ac.in
Email- connectpuregistrar@gmail.com

Phone No.- 05452-252244

Ref. No. 1655/UGC CELL/VBSPU/2025 Date: 30/06/2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

विषय– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अनिवार्य प्रत्यायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पृष्ठांकन पू0वि0वि0/सम्बद्धता/2025/3644 दिनांक– 24.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण कने का कष्ट करें जिसके द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली के ई–मेल पत्रांक– 8-591/2024(CPP-I/C) Dated: 16 JAN 2025 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की गयी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि– **"आयोग द्वारा यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता के लिए अर्हता हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों को अनिवार्य रूप से NACC प्रत्यायन की आवश्यकता होगी तथा ऐसे संस्थान जो पहले से ही धारा 12ख के तहत मान्यता प्राप्त हैं उन्हें मान्यता की निरंतरता हेतु अधिकतम पाँच वर्षो का समय प्रदान किया जा सकता है। तद्नुसार धारा 12ख के अन्तर्गत पूर्व में मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों को विलम्बतम् जून 2027 तक प्रत्यायन प्राप्त करना आवश्यक होगा।"**

अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12ख के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है है कि विलम्बतम् जून–2027 तक अनिवार्य रूप से NACC प्रत्यायन कराते हुये प्राप्त प्रमाण–पत्र की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र की प्रति।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि–

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नयी दिल्ली को प्रेषित।
2. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपतिजी के संज्ञानार्थ।
3. वेबमास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइटट पर अपलोड करें।

कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner